भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:-- **Date:**24/07/2020

आरोग्य संजीवनी पॉलिसी

संदर्भ सं. Ref. No:-- दिनांक / Date : 24-07-2020

प्रेस विज्ञप्ति

PRESS RELEASE

-

"आरोग्य संजीवनी~~ पॉलिसी

Arogya Sanjeevani" Policy

1. आईआरडीएआई ने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित किया है कि वे "आरोग्य संजीवनी~~ नामक मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 01.04.2020 से आम जनता को प्रस्तुत करें। पॉलिसी के नियम व शर्तें, प्रीमियम दरों को छोडकर सभी बीमाकर्ताओं के लिए समान हैं, क्योंकि उनका निर्धारण बीमाकर्ताओं पर छोड़ दिया गया है।
IRDAI stipulated to all general and health insurers to offer standard individual health insurance policy called "Arogya Sanjeevani" Policy to the public from 01.04.2020. The terms and conditions of the policy are the same across insurers except that premium rates are left to be fixed by the insurers.

2. स्वास्थ्य बीमा का व्यापार करने वाले सभी बीमाकर्ता वर्तमान में आम जनता को मानक पॉलिसी प्रस्तुत कर रहे हैं।
All the insurers dealing with health insurance are presently offering the standard policy to the public.

3. अब, आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को भी अनुमति दी है कि वे उसी मानक पॉलिसी को, "आरोग्य संजीवनी~~ के नाम से ही एक समूह पॉलिसी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते, प्रीमियम को छोडकर, जो कि बीमाकर्ताओं द्वारा निर्धारित की जानी है, मानक पॉलिसी के सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रखी गयी हैं।
Now, IRDAI has also allowed the insurers to offer the same standard policy also as a group policy under the same name "Arogya Sanjeevani" provided that all the terms and conditions of the standard policy are retained except for the premium which is to be fixed by the insurers.

4. आशा की जाती है कि यह मानक समूह पॉलिसी, अपने कर्मचारियों की चिकित्सा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए उपयोगी रहेगी।
This standard group policy is expected to be useful to various private and public establishments for covering the medical needs of their employees.

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि ``आरोग्य संजीवनी~~ पॉलिसी भले ही वैयक्तिक रूप में या सामूहिक रूप में हो, कोविड-19 को भी शामिल करेगी।
It is clarified that "Arogya Sanjeevani" policy, whether in individual or group form, also covers Covid – 19.

6. आशा की जाती है कि समूह-पॉलिसी, बड़ी संख्या में विनिर्माण, सेवाओं, लघु व मध्यम प्रतिष्ठानों (एसएमई), सूक्ष्म लघु व मध्यम प्रतिष्ठानों (एमएसएमई), लाजिस्टिक सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों और प्रवासी कामगारों की चिकित्सकीय ज़रूरतों को पूरा करेगी।
The group policy is expected to provide protection to a large number of employees engaged in manufacturing, services, SMEs, MSMEs, logistics sector and migrant workers, catering to their medical needs.